

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(19)खा.वि./आवंटन/2024-02145

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

:- आदेश :-

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2024 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न परिवहन का कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला रसद कार्यालयों के माध्यम से सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए संभाग मुख्यालय वाले जिलों में परिवहन निविदा प्रक्रिया सम्पादन एवं परिवहन पर्यवेक्षण हेतु उक्त जिलों के जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुबीर कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ को प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राज., जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर (रसद), राजस्थान।
6. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ निदेशक (IT)एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को उक्त आदेश को वैबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।

RajKaj Ref
10524024

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation: Principal Secretary To
Government

Date: 2024.09.18 13:31:08 IST

Reason: Approved